

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 1257 / 2020

तारीख रजु 13.07.2020

उनवान

रामसिंह पुत्र मनफूल जाति माली निवासी पीपरीवाला वार्ड नं0 34 हिण्डौन तहसील हिण्डौन
जिला करौली

---वादीगण 02

बनाम

कुम्हेरसिंह पुत्र रामखिलाडी वगै0 जाति माली निवासी पीपरीवाला वार्ड नं0 34 हिण्डौन तह0
हिण्डौन जिला करौली

-----प्रतिवादीगण 07

उपस्थिति:-

वादी की ओर से :- श्री देवीसिंह गुर्जर एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- कोई नहीं

निर्णय

दिनांक 11.08.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा
स्थित ग्राम पीपरीवाला तहसील हिण्डौन के खसरा नं0 7704, 7705, 7706, 7707 दावा
बावत् स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तैलब किया।
इसी दौरान वादी वकील द्वारा निवेदन किया कि वादी प्रकरण को आंगे नहीं चलाना
चाहता हैं। दावा नोट प्रेस में खारिज चाहा है।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 1257 / 2020 रामसिंह वगै0 बनाम कुम्हेर
सिंह वगै0 नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम
हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

